

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कमाकाएफ 1-35/07/1-38

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश


विषय-शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत क्रीडाधिकारियों/प्रधपालों की अधिवार्षिकी आयु ।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत क्रीडाधिकारी/प्रधपाल की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है, में वृद्धि कर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार शासकीय क्रीडाधिकारियों/प्रधपालों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की जाती है ।

2/ यह स्वीकृति/सहमति वित्त विभाग के क.आर.2010/08/नियम/चार दिनांक 08.12.2008 द्वारा प्रदान की गई है ।

3/ उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माना जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. एम. एस. रघुवंशी)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग


फूक0एफ 1-35/2007/1-38,

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मान्य मन्त्रालय, नरेश्वरजी जी ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. आपुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/इंदौर ।
6. समस्त प्राचार्य, शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
7. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय, भोपाल ।
8. गार्ड फाइल ।

जी और सूचनाार्थ एच पालनार्थ ।


(बी.डी.सैनी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग